

डिक्री बमुकदमें ईत्तदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया  
वादपत्र अन्तर्गत धारा :-88/53 आरटीए  
प्रकरण संख्या:- 546/2024

श्री सिंह पुत्र श्री जगर सिंह जाति मजहबी निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम


- गुरचरण सिंह श्री जगर सिंह जाति मजहबी निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।  
कलवन्त कौर पत्नी स्व. श्री छोटा सिंह जाति मजहबी निवासी रासुवाला तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।  
भोलासिंह पुत्र स्व. श्री छोटा सिंह जाति मजहबी निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।  
सरजीत सिंह पुत्र स्व. श्री छोटा सिंह जाति मजहबी निवासी रासुवाला तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़।  
बंसत सिंह पुत्र स्व. श्री छोटा सिंह जाति मजहबी निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।  
समत पुत्री स्व. श्री छोटा सिंह जाति मजहबी निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।  
गुगनु पुत्री स्व. श्री छोटा सिंह जाति मजहबी निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।  
रुपा सिंह पुत्र स्व. श्रीमति बंशो पुत्री स्व. श्री छोटा सिंह जाति मजहबी निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।  
श्रीमति बंशो पुत्री स्व. श्री छोटा सिंह जाति मजहबी निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।  
हलकरण सिंह पुत्र स्व. श्रीमति गुरदास पुत्री स्व. श्री छोटा सिंह जाति मजहबी निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।  
तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व वाद आज वास्ते इन्फिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ एडवोकेट व मिन जानिब मुदायला प्रति सं. 1 ता 10 श्री कुलदीप मूण्ड एडवोकेट एवं राज पैरोकार तहसीलदार (राजस्व) संगरिया पेश होकर हुकम दिया जाता है कि वाद वादी डिक्री किया जाता है कि :- वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 10 ने चक 7 आई.डी.जी के खाता संख्या 41/36 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 की वादग्रस्त कृषि भूमि का अच्छी मन्दी अनुसार घरु बंटवारा करने एवं प्रतिवादी सं. 2, 6 ता 10 ने अपने हक व हिस्सा भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 5 के पक्ष में कर दिये जाने के कारण इनका उक्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहा है तथा वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 5 को घरु बंटवारा में निम्नानुसार कृषि भूमि आई है :-

- (क) वादी नक्षत्र सिंह पुत्र श्री जगर सिंह जाति मजहबी निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-  
चक 7 आई.डी.जी. खाता सं. 41/36 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
124/122 31 12,13/0.146 है.प्र.  
कुल 0.292 है. कृषि भूमि
- (ख) प्रतिवादी सं. 1 गुरचरण सिंह पुत्र श्री जगर सिंह जाति मजहबी निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि:-  
चक 7 आई.डी.जी. खाता सं. 41/36 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
124/122 31 8/0.253 है.  
124/123 44 3/1/0.107 है., 3/3/0.038 है.  
कुल 0.398 है. मय गै.मु. कृषि भूमि
- (ग) प्रतिवादी सं. 3 ता 5 क्रमशः भोला सिंह, रुपा सिंह उर्फ सरजीत सिंह एवं बंसत सिंह पुत्रगण स्व. श्री छोटा सिंह समस्त जाति मजहबी निवासी रासुवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि.व. कृषि भूमि:-  
चक 7 आई.डी.जी. खाता सं. 41/36 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73  
प.नं. मु.नं. कि.नं.  
124/122 31 11/0.253 है., 12/0.107 है., 13/0.107 है.  
कुल 0.467 है. कृषि भूमि

अतः वादी एवं प्रतिवादीगण को चक 7 आईडीजी के खाता संख्या 41/36 जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 मे उक्तानुसार आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाते से छोटासिह पुत्र जगरसिह व छोटे पुत्री जगर सिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता अलग-अलग कायम किये जाने कि आदेश दिये जाते है। राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा।



नोटे - यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज \* नल \* मुब्लिक \* निल \* बाबत \* निल 100 खर्चा मुकदमें के मय शुद वा-शरह कीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक \* अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17.4.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक क्लर्क एवं  
उपखण्ड अधिकारी संगरिया  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया